रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 1991/फाल्गुन 30, 1912
No. 109] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 1991/PHALGUNA 30, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1991

सा.का.नि. 170(अ).—महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1981 जो कि भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 725 तारीख 13 जुलाई, 1981 द्वारा प्रकाशित की गई थी का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास

अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दिए जाने से पैंतालीस दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा। उक्त प्रारूप के संबंध में, ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि में किसी व्यक्ति से प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन न्यास बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1991 है।

2. महापत्तन न्यास (बोर्ड के अधिवेशनों की प्रक्रिया) नियम, 1981 के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8 अधिवेशन का स्थगन—किसी अधिवेशन का स्थगन—किसी अधिवेशन का सभापति उसे किसी पश्चात्‌वर्ती तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा, वह तारीख या तो अधिवेशन में ही घोषित की जाएगी और उस दशा में अधिवेशन में अनुपस्थित न्यासियों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सूचना दी जाएगी या न्यासियों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सूचित की जाएगी।"

[फा. सं. एच-11017/4/90-पी. जी.]
अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: (i) मूल नियम सा. का. नि. 725(अ) तारीख 13-7-1981 को प्रकाशित किए गए थे।

(ii) पहला संशोधन सा. का. नि. सं. 819(अ) तारीख 28-7-88 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 1991

G.S.R. 170 (E).—The following draft of certain rules further to amend the Major Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules 1981 published with the

notification of the Government of India in the Ministry of Shipping & Transport (Port Wing) No. GSR 725 dated the 13th July, 1981, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) is hereby published as required by sub-section (2) of section 122 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public.

Any objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said draft within the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. These rules may be called the Major Port Trust (Procedure at Board Meetings) Amendment Rules 1991.

2. Rule 8 of the Major Port Trust (Procedure at Board Meetings) Rules, 1981 shall be substituted by the following rule, namely :—

"8. Adjournment of meeting : The president of the meeting may adjourn it to a later date, which date shall either be announced at the meeting in which case intimation shall be sent to the Trustees absent at the meeting at least three days in advance or communicated to the Trustees at least three days before the date of the meeting."

[No. H-11017|4|90-PG]
ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

Foot Note : 1. Principal Rules were published in GSR No. 725(E) dated 13-7-1981.

2. First Amendment vide GSR No. 819(E) dated 28-7-88.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991